–उन्तालीस–

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–3573/ग्यारह–2004–500(66)–99
लखनऊ, दिनांक 01 जुलाई, 2004
अधिसूचना
आदेश

प0आ0–230

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63 सन् 1951) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश वित्त निगम के नीलामकर्ता अधिकारी और नीलाम–क्रेता के मध्य निष्पादित लिखतों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की अनुसूची–1 (ख) के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तांतरण लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की ऐसी धनराशि, जो नीलामी क्रय की लिखत में दी गयी प्रतिफल/नीलामी धनराशि से ऐसी अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य तक अधिक हो, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की सीमा तक कम करते हैं।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
रीता सिन्हा,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. K.N.-5-3573/XI-2004-500(66)-99 dated July 01, 2004 for general information :

No. K.N.-5-3573/XI-2004-500(66)-99
Lucknow, Dated July 01, 2004
Notification
Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to reduce, with effect from the date of publication of notification in the Official Gazette, the stamp duty chargeable on instruments of conveyance under clause (a) of Article 23 of Schedule I-B of the said Act with respect the instruments executed between Auctioning Officer of Uttar Pradesh Finance Corporation constituted under State Finance Corporation Act, 1951 (Central Act no 63 of 1951) and the auction purchaser to the extent of the amount that exceeds the amount of consideration /auction amount as set forth in such instrument of auction purchase upto to the market value of such immovable property.

By order,
Sd/- Illegible
RITA SINHA,
Pramukh Sachiv.